न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

14 / 2022

श्री पंकज कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पदम चन्द जैन निवासी 4 / 4 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर पिन 302020 राज0

बनाम

––अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 23.05.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02–03–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

यह की ग्राम कुण्डेर पटवार हल्का कुण्डेर भूअभिलेख निरीक्षक खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक राज. स्थित निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1118, 2291, 560, 700, 713 कुल किता 5 कुल रकबा 6.67 है0 तथा खसरा संख्या 739 से 744, 747, 770, 771, 772 एवं 777 कुल किता 11 कुल रकबा 3.52 है0 भूमि से संबंधित जरिये विरासत अनुसार नामान्तरण सख्या 170 दिनांक 08.01.1994 से संबंधित नामान्तरण दर्ज किये जाने बाबत सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रति मय आदेशिका (कार्यालय रिपोर्ट) सहित।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को पत्र किमांक 514 दिनांक 18–4–2022, 547 दिनांक 28.04.2022 व 585 दिनांक 5.5.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 [illegible] निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्ण[illegible] लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी [illegible]

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर

एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal

Date: 2023.02.04 16:18:18 IST

Reason: SelfAttested